न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 55/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/441

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. मोहनलाल पुत्र सवा, 2. भंवरलाल पुत्र सवा, जातिगण सीरवी, निवासीगण गुडा एन्दला तहसील व जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली 2. भीकाराम पुत्र राजाजी 3. बालाराम पुत्र राजाजी जातिगण सीरवी, निवासीगण गुडाएन्दला, तहसील व जिल पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र व्यास

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- **18.06.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3946 दिनांक 07.12.2020 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र व्यास वक्त बहस उपस्थित हुए। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व दौराने बहस कथन किया कि ग्राम कूरना के खसरा संख्या 1463/5 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1469/2 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा की कृषि भूमि में अपीलाण्ट व उसके भाई वागाराम व माता चमनी की खातेदारी की भूमि थी जिस कारण उक्त भूमि में अपीलाण्ट, उसके भाई वागाराम व चमनी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। उक्त हिस्से में से अपीलाण्ट व उनकी माता चमनी द्वारा अपने हिस्से के 3/4 हिस्से का आधा हिस्सा यानि कुल 05 बीघा 11.5 बिस्वा भूमि दिनांक 26.02.2010 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 की माता स्व. अणची को विक्रय किया गया था जो विक्रय पत्र उप पंजीयक पाली के कार्यालय में दिनांक 26.02.2010 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 11 में पृष्ठ संख्या 36 के क्रम संख्या 2010002036 पर पंजीयन किया गया था। उक्त पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर ग्राम पंचायत कुरना द्वारा दिनांक 03.04.2010 को नामान्तरकरण संख्या 2563 स्वीकृत किये जाने के आधार पर उक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट व उनकी माता चमनी का हिस्सा 3/8 तथा रेस्पो. संख्या 02 व 03 की माता स्व. अणची

का 3/8 हिस्सा बतौर खातेदार व काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। तत्पश्चात रेस्पो. संख्या 02 व 03 की माता फौत हो जाने पर अपीलाण्ट व उनकी माता का 3/8 हिस्सा हड़प करने की नियत से रेस्पो. संख्या 02 व 03 ने मिलावट कर अपीलाण्ट व उसकी माता द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया जाना बताकर दिनांक 26.02.2010 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर पुनः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि दिनांक 26.02.2010 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर पूर्व में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है के बाबत् हमें जानकारी नहीं थी जिससे जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में पश्चातवृति नामान्तरकरण संख्या 3946 को निरस्त किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.02.2010 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 2563 दिनांक 03.04.2010 स्वीकृत हो चुका है। इसके पश्चातवृति जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त नामान्तरकरण भी समान विक्रय विलेख के आधार पर ही भरा गया है। चूंकि पूर्व में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है तो समान आधार पर भरा गया जैर अपीलाधीन पश्चातवृति नामान्तकरण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अगर जैर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3946 दिनांक 07.12.2020 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **18.06.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली